

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

कमांक


/स्था/मुप्रनिबो/2016

भोपाल, दिनांक

03 AUG 2016

कार्यालय आदेश

राज्य बोर्ड की 141 वीं बैठक दिनांक 15 जुलाई 2016 के एजेण्डा बिन्दु कमांक 2.8 पर लिये गये निर्णय अनुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किये गये परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियम-6 में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रहस्तन, उत्पादन, संग्रहण, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन, प्रयोग, शोधन, प्रसंस्करण, पुनः चक्रीकरण, पुनः प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण, उपयोग, बिक्री, अंतरण, या निपटान में लगी सुविधा के प्रत्येक अधिभोगी जो लघु/वृहद/मध्यम श्रेणी अन्तर्गत आते हैं, को प्राधिकार प्रदान करने की शक्तियाँ अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं लघु श्रेणी अन्तर्गत अपवहन में लगी सुविधा के प्रत्येक अधिभोगी को प्राधिकार प्रदान करने की शक्तियाँ क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजित की जाती हैं।


(ए. ओ. मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ० कमांक 1471 /स्था/मुप्रनिबो/2016
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03 AUG 2016

- 1 समस्त शाखा प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 2 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 3 आईटी शाखा/गार्ड फाईल/आदेश नस्ति ।